रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 236] नई दिल्ली, सोमवार, मई 8, 1978/वैशाख 18, 1900
No. 236] NEW DELHI, MONDAY, MAY 8, 1978/VAISAKHA 18, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 4 मई, 1978

शुद्धि पत्र

का. आ. 309(अ).—भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (2) में 21 जून, 1977 को प्रकाशित का. आ. 406(अ) के संदर्भ में।

विद्यमान पैराग्राफ 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :—

3. कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी किन्हीं नरम इस्पात की ट्यूबों जिनकी भित्ति-मोटाई इस आदेश के अन्तर्गत आने वाले विनिर्मित करेगा या न बिक्री के लिए उन्हें भण्डार में रखेगा और न ही बेचेगा या वितरित करेगा। परन्तु, जस्तीकृत ट्यूबों पर जिंक कोटिंग आई. एस. : 4736-1968 के अनुसार होगा। परन्तु, इस आदेश की कोई भी बात ऐसे नरम इस्पात की ट्यूबों के संबंध में लागू नहीं होगी जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं हैं किन्तु, विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित किन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

[सं. 7(3)/71-ई. आई. एम.]

हरी भूषण, सलाहकार (तकनीकी) एवं पदेन संयुक्त सचिव।

**MINISTRY OF INDUSTRY**

**(Department of Heavy Industry)**

New Delhi, the 4th May, 1978

CORRIGENDUM

**S.O. 309(E).**—Reference S. O. 406(E) dated 21st June, 1977 published in part II Section 3 Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary.

For the existing Paragraph 3, substitute the following :—

3. No person shall by himself or by any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute any mild steel tubes having wall thickness less than the wall thickness stipulated for light class in the specified standards covered by this Order and provided that the thickness of Zinc Coating on the galvanized tubes shall be in accordance with IS : 4736—1968. Provided further that nothing in this Order shall apply in relation to export of mild steel tubes which do not conform to the specified standard but conform to any specifications required by the foreign buyer.

[No. 7(3)/71-EIM.]

HARI BHUSHAN, Adviser (Tech) & Ex-Officio Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978